दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-१७ वा | शनिवार १३ सितम्बर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

राज्य में 'मिनी विधानसभा के बॉस' की पुष्टि!

राज्य की ३४ ज़िला परिषद अध्यक्ष पदों का आरक्षण घोषित

सोलापुर में ओबीसी को, बीड़ में अनुसूचित जाति की महिला को मिलेगी अवसर

मुंबई, जमीर काज़ी –

राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की आगामी चुनाव प्रक्रिया के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। मिनी विधानसभा के रूप में माने जाने वाली राज्य की सभी ३४ ज़िला परिषदों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण निश्चित कर दिया गया है। सोलापुर ज़िले में ओबीसी को, जालना और धाराशिव ज़िले में ओबीसी महिला को और बीड़ ज़िले में अनुसूचित जाति की महिला को अध्यक्ष बनने का अवसर मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण पिछले ५-६ वर्षों से रुकी हुई स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया नवंबर, दिसंबर या नए साल में आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रभाग और आरक्षण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। ग्राम विकास विभाग की ओर से राज्य की सभी ज़िला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण को अंतिम रूप दिया गया है। विभिन्न वर्गों के अनुसार तय किए गए इस आरक्षण से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में सत्ता संतुलन पर बड़ा

प्रभाव पड़ेगा।

जारी आरक्षण सूची के अनुसार, ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, नासिक, जालगांव, छत्रपति संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाल और नागपूर ज़िला परिषदों के अध्यक्ष पदों के लिए सामान्य वर्ग खुला रखा गया है। इनमें ठाणे, सांगली, कोल्हापुर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली जैसी ज़िलों में सामान्य (महिला) आरक्षण लागू किया गया है।

अनुसूचित जाति के लिए बीड़ (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा और चंद्रपूर (महिला) के पद आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए पालघर, नंदुरबार, अहमदनगर (महिला), अकोला (महिला) और वाशिम (महिला) जिलों के अध्यक्ष पद आरक्षित रखे गए हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए रत्नागिरी (महिला), धुले (महिला), सातारा (महिला), सोलापुर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर और भंडारा जिलों को शामिल किया गया है।

इस आरक्षण घोषणा से आगामी स्थानीय स्वराज्य चुनावों में राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार तय करते समय इस आरक्षण का ध्यान रखना होगा, और महिला आरक्षण के कारण कई जिलों में नए नेतृत्व को अवसर मिलेगा।

ओबीसी आरक्षण : आत्महत्या केलेल्या भरत कराडच्या कुटुंबीयांना २५ लाखांची आर्थिक मदत व एका सदस्यास शासकीय नोकरी द्यावी-धनंजय मुंडे करणार राज्य शासनाकडे मागणी

लातूर जिल्ह्यातील मयत भरत कराडच्या कुटुंबीयांचे मंत्री छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे यांनी केले सांत्वन

लातूर (प्रतिनिधी) - ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याच्या नैराश्यातून वांगदरी ता. रेणापूर येथील पस्तीस वर्षीय तरुण भरत महादेव गायकवाड यांनी नदीत उडी घेऊन आत्महत्या केली होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ तसेच ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांनी वांगदरी येथे जाऊन मयत कराड यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले.

मयत भरत कराड यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून २५ लाखांची आर्थिक मदत करण्यात यावी तसेच त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरी देण्यात यावी, याबाबत आपण पत्राद्वारे मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करणार असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले.

आरक्षणाच्या लढाईत सर्वजण एक जुटीने लढा देऊ, असे म्हणताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील दुःख व्यक्त करत भरत कराड आमच्या आंदोलनात सहभागी असायचा असे म्हणत आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबींवर मत व्यक्त केले.

यावेळी माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांनी ते अध्यक्ष असलेल्या नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने कराड कुटुंबाला तातडीची मदत म्हणून एक लाख रुपये आर्थिक मदत सुपूर्द केली. यावेळी श्री भुजबळ यांनी देखील आर्थिक मदत केली असून, आ. रमेश कराड यांनी भरत कराड यांच्या मुलींच्या संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली असल्याचे जाहीर केले.

दरम्यान राज्य सरकार आरक्षण आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये याबाबत सजग असून, कुठल्याही समाजाचे आरक्षण धोक्यात आल्यास प्रसंगी संविधानाच्या चौकटीत राहून लढा लढला जाईल, त्यामुळे कुणीही टोकाचे पाऊल उचलू नये, तरुणांनी आत्महत्या केल्या तर आरक्षण कुणासाठी मागायचे, असा भावनिक प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रसंगी आ. रमेश कराड, समता परिषदेचे ड. सुभाष राऊत, राजकिशोर मोदी, बालासाहेब शेप, बाळासाहेब सोनवणे यांसह आदी उपस्थित होते.

दरम्यान चार दिवसांपूर्वी धनंजय मुंडे यांनी अंबाजोगाई तालुक्यातील सुगाव येथे भेट देऊन मराठा आरक्षण मागणीसाठी आत्महत्या केलेल्या स्व. नितीन चव्हाण यांच्या कुटुंबीयांचे भेट घेत त्यांनाही एक लाखांची मदत करत त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली होती, त्यावेळी देखील त्यांनी आत्महत्या हे यावरचा उपाय नसल्याचे मत व्यक्त केले होते.

मन उदास हो गया; वांगदरी के युवक की आत्महत्या से मंत्री पंकजाताई मुंडे दुखी

हक के लिए लड़ो, लेकिन आत्महत्या जैसा अंतिम कदम न उठाएँ - पंकजाताई मुंडे का युवा वर्ग को भावुक आवाहन

मुंबई, १२ सितंबर - समाज कोई भी हो, समस्या कितनी ही जटिल क्यों न हो, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं है। सामने वाली परिस्थितियों का सामना करने और संघर्ष की तैयारी हमारी होनी चाहिए। हक के लिए लड़ना ज़रूरी है, पर आत्महत्या जैसा कटु कदम किसी भी हाल में न उठाएँ - यह कळकळीभरा आवाहन राज्य के पर्यावरण व पशु संवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे ने सभी समुदायों के युवाओं से किया।

रेणापूर (जिला लातूर) के वांगदरी निवासी भरत कराड (युवक) ने ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर आत्महत्या की। इस दुखद घटना से पंकजाताई मुंडे अत्यंत व्यथित हुईं। घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना ने सभी का मन झकझोर दिया है। नैराश्य में आकर अपने जीवन को समाप्त करना कभी सही रास्ता नहीं है; आत्महत्या से कोई समस्या हल नहीं होती। हर व्यक्ति को संघर्ष के लिये तैयार रहना चाहिए।

मंत्री पंकजाताई मुंडे ने कहा कि आत्महत्या की घटनाएँ हृदय पिघला देती हैं। किसी भी कदम से पहले अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों- परिवार, स्वयं और बच्चों-के बारे में सुनिश्चित विचार किया जाना चाहिए। यह विचार एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक माँ के हृदय से निकला हुआ संदेश है। सामाजिक संघर्ष चलेंगे - कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कुछ लोग राजनीति करेंगे, कुछ लाभ उठाएँगे, कुछ समर्पित होकर काम करेंगे - पर इन सबके बीच अपना मन नियंत्रित रखना अनिवार्य है। पंकजाताई मुंडे ने यह भी कहा कि बार-बार ऐसे नैराश्यजन्य मामलों का सामने आना चिन्ताजनक है। चाहे कोई भी समुदाय हो या किसान वर्ग - किसी के मन में आत्महत्या का विचार नहीं आना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी जाति-धर्म और समाज के हर तबके के लोगों से अपील की कि वे हार न मानें, संघर्ष का सामना दिलेरी से करें और आत्महत्या जैसा अंतिम कदम कभी न उठाएँ।

मुख्य सचिव राजेश कुमार को बीड़ आगमन का निमंत्रण, पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात

मुंबई। संवाददाता

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश

कुमार से पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे और संतोष मानुरकर ने मुलाक़ात की। इस दौरान उन्हें बीड़ में होने वाले सत्कार समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

मुख्य सचिव राजेश कुमार ने चर्चा के दौरान अपने प्रशासनिक कार्यकाल की प्रारंभिक यादों को ताज़ा किया। उन्होंने बताया कि बीड़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनकी सेवाओं की शुरुआत यहीं से हुई थी और तभी से जिले के साथ उनके गहरे ऋणानुबंध जुड़े हुए हैं।

पत्नी की मारपीट से पति की मौत

अंबाजोगाई, १२ सितम्बर (प्रतिनिधि) : घरेलू विवाद के चलते पत्नी द्वारा की गई मारपीट से पति की मौत होने की चौंकाने वाली घटना अंबाजोगाई शहर के क्रांतीनगर इलाके में बुधवार (१० सितंबर) को घटी। इस मामले में पत्नी के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का अपराध अंबाजोगाई शहर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है।

मृतक का नाम कैलास सरवदे (आयु ३७, निवासी क्रांतीनगर, अंबाजोगाई) है। कैलास की पत्नी माया सरवदे ने पारिवारिक विवाद के चलते गुस्से में आकर लात-घूंसों से उसकी पिटाई की। इस मारपीट में गंभीर चोट लगने से कैलास की मौत हो गई। बताया जाता है कि कैलास शारीरिक रूप से दिव्यांग था और उसे शराब पीने की आदत थी। इसी कारण दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। घटना वाले दिन भी वह शराब पीकर घर आया और विवाद शुरू हुआ। इस दौरान माया ने कैलास को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। घरवालों और पड़ोसियों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन माया ने उन्हें भी गालियां दीं और कहा कि यह रोज शराब पीकर यही करता है, मैं इसे मुफ्त में क्यों संभालूं?

कुछ देर बाद कैलास बेहोशी की हालत में घर के पास मिला। परिजनों ने तुरंत उसे सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुरू में मौत का कारण शराब का अधिक सेवन समझा गया, लेकिन शवविच्छेदन रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत का कारण गंभीर मारपीट से हुई चोटें ही हैं।

इसी आधार पर कैलास की बहन ज्योती तरकसे ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी माया सरवदे के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पीएसआई रविकुमार पवार कर रहे हैं।

१७ सितंबर को बीड़-नगर रेल्वे का सपना होगा साकार : जिला प्रशासन और रेल्वे अधिकारियों ने की स्थल निरीक्षण

बीड़, १२ (जिमाका) - बीड़ जिले की बहुचर्चित रेल्वे सेवा आखिरकार १७ सितंबर २०२५, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के दिन शुरू होने जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन की जोरदार तैयारी जारी है। जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, रेल्वे के वरिष्ठ अधिकारी बृजेशकुमार सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक नवनीत काँवत और अन्य अधिकारियों ने आज बीड़ रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया।

बीड़-नगर रेल्वे को १७ सितंबर को हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित रहेंगे। जिले के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जनता इस कार्यक्रम में शामिल होगी।

कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, वीआईपी मार्ग और अन्य रास्तों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम की योजना और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन और पुलिस अधीक्षक नवनीत काँवत स्वयं हर पहलू की समीक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर रेल्वे प्रशासन की ओर से उपमुख्य अभियंता डी.डी. लोळगे, उपमुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिक) ज्ञानेंद्रसिंह, रेल्वे विभाग के विभागीय अधिकारी जितेंद्र सिंह और वरिष्ठ समन्वयक विजयकुमार रॉय समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यह प्राथमिक निरीक्षण था। बैठक व्यवस्था और अन्य मार्गों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा आश्वासन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन ने इस मौके पर दिया।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

वनमंत्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में आष्टी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित वनविभागीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

मुंबई। संवाददाता

आष्टी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी वनविभाग की विविध समस्याओं के समाधान को लेकर महाराष्ट्र राज्य के वनमंत्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में मंत्रालय, मुंबई में एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रमुख रूप से जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें शामिल रहे –

शिरूर (कासार) तालुका के मौजे झापेवाड़ी और कान्होबाचीवाड़ी की वनजमीन जिलाधिकारी बीड़ व शिरूर (कासार) नगरपंचायत को हस्तांतरित करना,

श्री क्षेत्र श्रृंगेरी देवी देवस्थान के लिए ८.८२ हेक्टेयर वनजमीन उपलब्ध कराना,

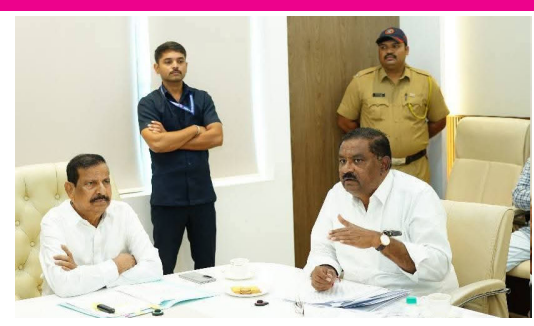

आष्टी तालुका के मौजे बीड़ सांगवी स्थित महादेव मंदिर देवस्थान की जमीन व वनविभाग की जमीन का परस्पर हस्तांतरण करना,

मयूर अभयारण्य से विषारी ग्लिरिसीडिया वृक्षों का उच्चाटन कर उनकी जगह वट, पीपल, नीम जैसे वृक्ष लगाकर मोरों के संवर्धन के लिए प्रयास करना,

अभयारण्य में पर्यटकों के लिए आवश्यक पर्यटन सुविधाएं तथा वन्यजीवों के लिए पशुवैद्यकीय सुविधा उपलब्ध कराना,

पैठण–पंढरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए वनविभाग की आवश्यक जमीन उपलब्ध कराना,

पाटोदा तालुका के मौजे कुसळंब की ५० हेक्टेयर वनक्षेत्र की मापणी कर ताब्यात लेना तथा शेष क्षेत्र मुक्त करना,

सौताडा (ता. पाटोदा) के श्री क्षेत्र रामेश्वर दरा परिसर में इको–टूरिज्म क्षेत्र विकसित कर नई पर्यटन परियोजना को मंजूरी देना।

वनमंत्री गणेश नाईक ने इन सभी विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही कार्यवाही शुरू की जाएगी।

इस बैठक में विधायक सुरेश धस विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही, प्रमुख सचिव (वने) मंत्रालय मुंबई, जिलाधिकारी बीड़ विवेक जॉन्सन (तउ), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमीता बिश्वास, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, संजीव गौड़, वनसंरक्षक (प्रा.) औरंगाबाद प्रमोदचंद लाकरा, विभागीय वन अधिकारी बीड़ ए. बी. गर्कल, विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव विभाग) औरंगाबाद रेवती कुलकर्णी, शिरूर नगरपंचायत के नगराध्यक्ष रोहिदास पाटील गाडेकर तथा मुख्याधिकारी विक्रम मांडूरके भी उपस्थित थे।

आख़िरकार सड़क का काम शुरू हुआ!

फ़ारुख़ पटेल और अशफ़ाक़ इनामदार की मेहनत रंग लाई।

बीड़ – शहर में कई वर्षो से अधूरा पड़ा खासबाग देवी मंदिर से हततीखाना तक का सड़क निर्माण कार्य आखिरकार आज शुरू हो गया। सड़क खराब होने के कारण खासबाग और हततीखाना क्षेत्र के नागरिकों को लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कामकाज में दिक़्क़तें आ रही थीं।

लेकिन फ़ारुख़ पटेल और अशफ़ाक़ इनामदार ने मंत्री धनंजय मुंडे और अमरसिंह पंडित के नेतृत्व में इस काम का रास्ता साफ़ कराया। कई वर्षो की मेहनत आखिर रंग लाई और आज सड़क कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया।

नागरिकों की ओर से फ़ारुख़ पटेल और अशफ़ाक़ इनामदार का आभार व्यक्त किया गया।

सांसद सोनवणे की तत्परता; बीड़ में उपोषणकर्ताओं से संवाद साधकर निकाला समाधान

समूह सचिवों का प्रश्न सुलझा, बंजारा समाज को साथ होने का भरोसा और गायरान धारकों को मिला दिलासा

बीड़ – जिले में कोई भी मुद्दा सुलझाने के लिए सांसद बजरंग सोनवणे हमेशा तुरंत आगे आते हैं, यह बार–बार दिखाई दे रहा है। १२ सितंबर को जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बैठे उपोषणकर्ताओं से सांसद सोनवणे ने तत्परता से मुलाकात की और समस्या का समाधान करने के प्रयास किए। इस दौरान बीड़ जिला देखरेख सहकारी संस्था के समूह सचिवों का प्रश्न सुलझाते हुए तत्काल उपोषण समाप्त कराया। साथ ही बंजारा समाज को अपने साथ होने का आश्वासन दिया। वहीं गायरान धारकों को आपकी समस्या सुलझाने के लिए मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा कहकर दिलासा दिया।

पिछले कुछ दिनों से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने विभिन्न मांगों को लेकर उपोषण चल रहे थे। १२ सितंबर को सांसद बजरंग सोनवणे ने उपोषण पर बैठे लोगों से मुलाकात की। बीड़ जिला देखरेख सहकारी संस्था में ८६ कर्मचारी कार्यरत हैं और पिछले ४–५ सालों से उनका वेतन नहीं दिया गया है, जबकि वे पूरा कामकाज कर रहे हैं। इसी वेतन भुगतान की मांग को लेकर ८ सितंबर से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने उपोषण चल रहा था। सांसद सोनवणे की पहल के बाद जिला उपनिबंधक स्वयं उपोषण स्थल पर पहुंचे और अगले २० दिनों के भीतर वेतन समस्या का समाधान करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद सांसद बजरंग सोनवणे के हाथों से नींबू पानी पिलाकर उपोषण समाप्त किया गया। इस मौके पर उपोषणकर्ता ए. एल. उनवणे और अन्य उपस्थित थे।

इसके बाद अखिल भारतीय बहुजन शेतकरी गायरान धारक न्याय हक्क संघर्ष मोर्चा की ओर से गायरान सातबारा (जमाबंदी) दिलाने की मांग को लेकर करचुंडी के जयसिंग वीर द्वारा चल रहे उपोषण स्थल पर पहुंचकर सांसद सोनवणे ने उनसे संवाद साधा। वीर ने अपने साथ हो रहे अन्याय की विस्तृत जानकारी दी। इस पर सांसद सोनवणे ने कहा कि मैं तुरंत जिलाधिकारी से बात करता हूं और आपकी मांगों पर कार्रवाई के निर्देश देता हूं। इस आश्वासन से उपोषणकर्ताओं को दिलासा मिला।

इसी तरह मराठवाड़ा क्षेत्र के बंजारा समाज को हैदराबाद स्टेट गैजेटियर के अनुसार अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कोलगांव तांडा के सतिष पवार द्वारा किए जा रहे उपोषण स्थल पर भी सांसद सोनवणे पहुंचे। उन्होंने सतिष पवार से संवाद साधते हुए स्पष्ट कहा कि मैं आपके साथ हूं। इस दौरान बंजारा समाज के युवाओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से सांसद सोनवणे का स्वागत किया।

इस मौके पर पुर्व विधायक सय्यद सलीम, खुर्शीद आलम आदि भी मौजूद थे।

मंत्रालय में 'एंट्री' के ३,५०० डीजी कार्ड अभ्यागतों द्वारा नहीं लौटाए गए

जमीर काझी, मुंबई:

मंत्रालय में आने वाले अभ्यागतों की भीड़ कम करने, आवश्यक कार्य के लिए प्रवेश को सुविधाजनक बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए डीजी प्रवेश कार्ड में से कुल ३,५०० कार्ड अभ्यागतों द्वारा जमा नहीं किए गए, यह सामने आया है। यानी जिन अभ्यागतों को कार्ड दिए गए थे, उन्होंने उन्हें वापस नहीं किया। इस कारण गृह विभाग भी परेशान है।

राज्य सरकार ने १५ अगस्त से मंत्रालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन डीजी ऐप लागू किया है। इसके तहत अब तक ऐप पर पंजीकरण कराए गए अभ्यागतों को ८,००० डीजी ऐप प्रवेश कार्ड (ठ्ऋखऊ) दिए गए हैं। अभ्यागतों को दिया गया कार्ड मंत्रालय से बाहर निकलते समय गेट के पास रखे बॉक्स में जमा करना अनिवार्य है।

लेकिन ३,५०० कार्ड अभ्यागतों ने वापस नहीं किए। गृह विभाग ने चेतावनी दी है कि डीजी प्रवेश ऐप कार्ड जमा करें, अन्यथा भविष्य में मंत्रालय में स्थायी रूप से प्रवेश प्रतिबंधित होगा।

जिन अभ्यागतों को कार्ड दिए गए हैं, उन्हें मंत्रालय छोड़ते समय बॉक्स में जमा करना अनिवार्य है। यदि कार्ड जमा नहीं किया जाता तो मोबाइल पर संदेश आता है, कृपया कार्ड जमा करें। इसके बावजूद ३,५०० से अधिक अभ्यागतों ने कार्ड वापस नहीं किया। चेतावनी के बावजूद यदि अभ्यागत कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें भविष्य में मंत्रालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

फेस डिटेक्शन और डीजी प्रवेश ऐप प्रणाली के कारण मंत्रालय आने वाले अभ्यागतों का समय बच रहा है और लंबी कतार में खड़े होने की परेशानी से राहत मिली है। मंत्रालय में प्रवेश के लिए ऐप पर पंजीकरण कराए गए अभ्यागतों को कार्ड प्रदान किया जाता है। मंत्रालय में कार्य पूरा होने के बाद कार्ड गेट पर रखे बॉक्स में जमा करना अनिवार्य है।

गृह विभाग के उपसचिव चेतन निकम ने अभ्यागतों से आग्रह किया है कि कार्ड समय पर जमा करें, अन्यथा उन्हें भविष्य में मंत्रालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।

सुजाता शिनगारे को समाजशास्त्र विषय में पीएचडी

धारूर : तालुका के आरणवाड़ी निवासी सुजाता राम शिनगारे को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय में पीएचडी प्रदान की है।

वरिष्ठ सामाजिक अध्येता डॉ. स्मिता अवचार के मार्गदर्शन में उन्होंने वृद्ध महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएँ : विशेष संदर्भ औरंगाबाद शहर इस विषय पर शोधप्रबंध प्रस्तुत किया था, जिसे विश्वविद्यालय ने मान्यता दी है। डॉ. सुजाता शिनगारे ने एम.ए. समाजशास्त्र में भी विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त किया था।

इसके अलावा उन्होंने एम.फिल. का शोधकार्य भी पूर्ण किया है।

इस सफलता पर धारूर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के उपसभापति सुनील शिनगारे, संचालक शिवाजी मायकर, न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विलास शिनगारे, डॉ. रामहारी मायकर, एड. सार्थक माने, आरणवाड़ी के सरपंच भागवत शिनगारे, सदाशिव शिनगारे, सतीश शिनगारे समेत पंचक्रोशी के नागरिकों ने बधाई दी है।

१६ सितंबर को तलक भवन में कांग्रेस का रोजगार मेला

मुंबई: राज्य में बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और शिक्षित होने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार भर्ती नहीं कर रही, जिसकी वजह से लाखों योग्य लड़के और लड़कियां रोजगार से वंचित हैं। युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने पहल करते हुए मंगलवार, १६ सितंबर को कांग्रेस के हेडक्वार्टर तलक भवन में एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया है।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के रोजगार और स्वरोजगार विभाग की ओर से आयोजित इस रोजगार मेले में आईटी, बैंकिंग, रिटेल, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी ४० से अधिक प्रसिद्ध कंपनियां भाग लेंगी। इस मेले के माध्यम से युवाओं को सैकड़ों रोजगार के अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के आठवीं कक्षा पास से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।

बेरोजगार युवाओं से अपील की गई है कि वे निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कर अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करें और इस मेले में भाग लें: https://forms.gle/1Y7mScKgS-c9tY1E8& यह अपील महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से की गई है।

महाराष्ट्र सरकार को नागपुर उच्च न्यायालयने जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने के निर्णय पर नोटिस जारी की

जालना (प्रतिनिधि): १२ सितंबर २०२५ को नागपुर उच्च न्यायालय ने 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स' (एपीसीआर) द्वारा दायर रिट याचिका (थझ/५१५९/२५) पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी की है। इस याचिका में राज्य सरकार द्वारा १२ मार्च २०२५ को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) और १७ मार्च २०२५ के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ११ अगस्त २०२३ के बाद नायब तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए सभी जन्म प्रमाणपत्रों को रद्द करने का निर्देश दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार, मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये आदेश मनमानी, गैरकानूनी और 'जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, २०२३' के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद १४, १९ और २१ का उल्लंघन करते हैं।

एपीसीआर महाराष्ट्र के महासचिव शाकिर शेख के अनुसार, १२ मार्च २०२५ के प्रस्ताव में जन्म पंजीकरण में देरी के लिए १३ नए और जटिल दस्तावेज जोड़े गए हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। इसके अलावा, १७ मार्च २०२५ के आदेश ने बिना किसी सुनवाई के अवसर के हजारों जन्म प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

इस निर्णय से कई नागरिकों, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जन्म प्रमाणपत्र आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल में प्रवेश और पासपोर्ट जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि उनके प्रमाणपत्र रद्द होने के कारण उन्हें धर्म के आधार पर विदेशी घोषित किया जा सकता है। इस मामले में वरिष्ठ वकील फिरदौस मिर्झा के साथ अधिवक्ता सय्यद ओवैस अहमद, अधिवक्ता शोएब इनामदार और अधिवक्ता काशिफ ने याचिका की पैरवी की।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com